

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संचिका संख्या- ख०भू०(योजना)-09/2024

/एम०, राँची, दिनांक-

प्रेषक,

अरबा राजकमल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

निदेशक, खान,
झारखण्ड, राँची।

विषय- निधि का आवंटन।

महाशय,

राज्य स्कीम (विस्तृत) माँग संख्या- 29 - खान एवं भूतत्व विभाग- मुख्य शीर्ष- 2853 - अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग - उप मुख्य शीर्ष - 02 - खानों का विनियमन तथा विकास - लघु शीर्ष- 001 - निदेशन तथा प्रशासन - उप शीर्ष- 07 - खनन स्थापना (राज्य स्कीम) STATE SCHEME : DIRECTORATE OF MINES (0869) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित राशि तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 10, दिनांक- 28.05.2025 एवं ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या- 63, दिनांक- 28.05.2025 के आलोक में निम्नांकित इकाईयों में योजना से सम्बन्धित व्यय को वहन करने हेतु राशि रु० 13,00,00,000/- (तेरह करोड़) मात्र (यथा स्तम्भ- 6 में अंकित) का आवंटन एतद् द्वारा किया जाता है:-

(राशि रु० में)

क्रम सं०	विस्तृत शीर्ष	ईकाई / विषय कोड	बजट प्रावधान (B.E. 2025-26)	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	03- प्रशासनिक व्यय	15-कार्यालय व्यय / 29-S-2853-02-001-07-00-03-15	10,00,000	10,00,000	10,00,000
2		17-कार्यालय उपकरण / 29-S-2853-02-001-07-00-03-17	45,00,000	45,00,000	45,00,000
3		18-प्रकाशन / 29-S-2853-02-001-07-00-03-18	20,00,000	20,00,000	20,00,000
4		21-सेमिनार/समारोह/कार्यशाला / 29-S-2853-02-001-07-00-03-21	40,00,000	40,00,000	40,00,000
5		23-अपूर्ति एवं सामग्री / 29-S-2853-02-001-07-00-03-23	10,00,000	10,00,000	10,00,000
6		29-व्यावसायिक सेवाएँ / 29-S-2853-02-001-07-00-03-29	2,00,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000
7		31-परामर्शी शुल्क / 29-S-2853-02-001-07-00-03-31	8,00,00,000	8,00,00,000	8,00,00,000
8		35-प्रशिक्षण व्यय / 29-S-2853-02-001-07-00-03-35	10,00,000	10,00,000	10,00,000
9	04-मोटरवाहनों / ईंधन	40-नई मोटरवाहनों का क्रय / 29-S-2853-02-001-07-00-04-40	25,00,000	25,00,000	25,00,000
10		41-मोटर वाहन / 29-S-2853-02-001-07-00-04-41	10,00,000	10,00,000	10,00,000
11	05-निर्माण	43-अवसंरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) / 29-S-2853-02-001-07-00-05-43	30,00,000	30,00,000	30,00,000
12	08-नेफा समायोजन	86-बापसी / 29-S-2853-02-001-07-00-08-86	1,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000
कुल			13,00,00,000	13,00,00,000	13,00,00,000

राजीव
A.S.O.

कुल आवंटित राशि रु० 13,00,00,000/- (तेरह करोड़) मात्र

2. उपर्युक्त आवंटित राशि में से अपने अधीनस्थ कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को ऑनलाइन राशि का उप आवंटन निदेशक, खान द्वारा किया जाएगा।
 3. आवंटित राशि उन्हीं मदों में व्यय की जाएगी जिसके लिए आवंटित की जा रही है। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन मान्य नहीं होगा। निकासी के तुरंत बाद व्यय का व्योरा कोषागार प्रमाणक के साथ बजट शाखा को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
 4. आवंटित राशि की निकासी से सम्बन्धित विपत्रों पर मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख निश्चित रूप किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण भूल की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
 5. आवंटित राशि के चालू वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं होने की संभावना हो तो राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगी।
 6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 2561, दिनांक 17.04.1998 (अंगीकृत), वित्त विभाग, झारखंड के पत्रांक- 1681/वि०, दिनांक- 10.06.2015, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड सरकार का अधिसूचना संख्या 1269, दिनांक 21.09.2023, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 338/बजट, दिनांक- 28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10, दिनांक 28.05.2025 में निहित निदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
 7. आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2561, दिनांक 17.04.1998 (अंगीकृत), वित्त विभाग, झारखंड के पत्रांक- 1681/वि०, दिनांक- 10.06.2015, विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 10, दिनांक 28.05.2025 एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में की जा सकेगी।
 8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बजट मैनुअल, झारखण्ड वित्त नियमावली एवं झारखण्ड कोषागार संहिता का अक्षरशः पालन करेंगे।
 9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
 10. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, राँची को यह आदेश संसूचित किया जा रहा है।
- अनु० - Online आवंटन संख्या- 1114 (कुल दो पृष्ठ)।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अरवा राजकमल)
सरकार के सचिव

जापांक- ख०भू०(योजना)-09/2024 /एम०, राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड, राँची / सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

जापांक- ख०भू०(योजना)-09/2024 /एम०, राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान/वरिय आस सचिव / सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आस सचिव / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव

जापांक- ख०भू०(योजना)-09/2024 // /एम०, राँची, दिनांक- 09/06/25

प्रतिलिपि- श्री कुमार अमिताभ, नोडल पदाधिकारी-सह-Administrator, Jharkhand State Portal Project-सह- उप निदेशक, भूतत्व, भूतत्व निदेशालय राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इस आवंटनादेश को झारखण्ड स्टेट पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

राजीव
A.S.O.

सरकार के सचिव